न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 05/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/47**
दायर दिनांक :– 06.01.2022 **निर्णय दिनांक :– 11.12.2024**

1. जेठूसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
2. बाबूसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
3. मेहेन्द्रसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
4. हाथीसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
5. स्वरूपसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
6. मेहनकंवर पत्नी अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जमालखां पुत्र कमालखां जाति मुसलमान निवासी जानूपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण ने उनके सह हिस्सेदारान की संयुक्त खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 287/1 रकबा 5.6656 हैक्टेयर कदीमी कब्जा काश्त की पैतृक ग्राम जैमला में स्थित है, एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम भी खसरा नम्बर 287/2 रकबा 0.9227 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जमाबंदी चौसाला सम्वत 2077–2080 व खसरा नक्शा जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 287/1 की भूमि के उत्तर में खसरा नम्बर 225/28 रकबा 25.7461 हैक्टेयर की कदीमी पैतृक भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत एवं उनके सह हिस्सेदारी के खेत के मध्य किसी भी व्यक्ति के कब्जा काश्त की कोई काश्त भूमि नहीं है और न किसी का कब्जा काश्त कभी रहा है, परन्तु हाल ही में राज्य सरकार के पृथककरण कार्यक्रम के तहत अलग खाता की अलग तरमीम कब्जा काश्त के माफिक की जाने के तहत पटवारी हल्का ने अप्रार्थी संख्या 1 जमालखां के नाम सिलिंग आवंटित भूमि खसरा नम्बर 287/2 रकबा 0.9227 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खसरा नम्बर 287/1 और खसरा नम्बर 225/8 के बीच गलत कायम कर दी, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नक्शा में कायम की गई तरमीम के माफिक मौका पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हल्का पटवारी ने मौका पर पक्षकारों को तरमीम कायम करने से पहले सुनवाई का कोई

11.12.24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

नोटिस एवं अवसर दिये बिना सरासर गलत एवं गैर कानूनी तरीके से गलत तरमीम कायम की है। अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा में तरमीम के माफिक कभी कब्जा काश्त नहीं रहने से प्रार्थीगण गलत तरमीम को निरस्त करवाने एवं अभिलेख दुरूस्त करवाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार शामिल करवाने के हकदार है। जिसका यह अभिलेख त्रुटि के दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार बाप ने जवाब व रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की और से कोई उपस्थिता नहीं लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 287/1 रकबा 5.6656 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 287/2 रकबा 0.9227 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार सरकार के जवाब एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा में कब्जा काश्त अनुसार ही अंकित है। प्रार्थी ने जो नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया है उस नजरी नक्शा अनुसार ही वर्तमान में ऑनलाईन तरमीम अंकित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.12.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)